



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126008

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 19499/2026

निक्रान्त @ निक्की

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : भुवनेश कुमार सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री भुवनेश कुमार सिंह और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से ए.जी.ए. श्री बी.पी. सिंह की बातें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।
2. यह जमानत अर्जी इस अनुरोध के साथ दायर की गई है कि केस क्राइम नंबर 143/2026 (धारा 103(1), 115(2), 140(1), 127, 3(5), 61(2), 190, 191(2) बीएनएस, थाना चांदपुर, जिला बिजनौर) में ट्रायल चलने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी दोषी ठहराने वाला सबूत नहीं है। बताया गया है कि प्राथमिकी के अनुसार, मृतक प्रशांत की मोटरसाइकिल और पलक की स्कूटी की आमने-सामने टक्कर हुई, जिससे स्कूटी सवार पलक जमीन पर गिर गई और उसे कई चोटें आईं; मृतक भी जमीन पर गिर गया। इससे गुस्सा होकर स्कूटी सवार पलक के परिवार वाले वहां आए और उन्होंने मृतक पर किसी कठोर और कुंद चीज़ से हमला किया, उसे अपने घर ले गए और वहां भी उसके साथ मारपीट की। बताया गया है कि मेडिको-लीगल रिपोर्ट के अनुसार, मृतक को चार चोटें आईं: बाएं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कान के पीछे 4x3 cm आकार की नीले रंग की सूजन, दाहिनी आंख पर 2x1 cm आकार की नीले रंग की सूजन, और दाहिने व बाएं टखने के जोड़ पर नीले रंग के दो निशान। पोस्टमार्टम में मौत का कारण सिर की चोट (मृत्यु-पूर्व सिर की चोट) पाया गया और सिर की चोट की सर्जरी के दौरान मृतक की मौत हो गई। आगे यह भी कहा गया है कि पांच लोगों ने कठोर और कुंद चीज़ से मृतक पर हमला किया था, और इस तरह की चोटें (जैसी बताई गई हैं) संभव नहीं हैं; साथ ही, यह स्पष्ट नहीं है कि किसने वह चोट पहुंचाई। यह भी कहा गया है कि इस मामले में चार्ज-शीट दाखिल की जा चुकी है, इसलिए कस्टडी में पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है। आवेदक 28.3.2026 से जेल में बंद है। अगर उसे ज़मानत दी जाती है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और ट्रायल की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने ज़मानत की अर्ज़ी का ज़ोरदार विरोध किया, लेकिन ऊपर बताए गए तथ्यों को चुनौती नहीं दे सके। हालाँकि, यह कहा गया है कि आवेदक और चार अन्य सह-आरोपियों ने मृतक को किसी कठोर और कुंद चीज़ से बेरहमी से पीटा था, जिसके बाद मृतक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान सिर पर लगी चोट (एंटी-मॉर्टम हेड इंजरी) के कारण उसकी मौत हो गई।

5. प्राथमिकी के अनुसार, मृतक की मोटरसाइकिल और पलक नाम की लड़की की स्कूटी के बीच एक एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद स्कूटी चलाने वाली पलक के परिवार वाले वहाँ जमा हुए और उन्होंने मोटरसाइकिल चलाने वाले प्रशांत पर किसी भारी और कुंद चीज़ से हमला किया। इस हमले में उसे चार चोटें आईं, जिनमें से एक चोट—बाएँ कान के पीछे 4x3 cm आकार की नीले रंग की सूजन वाली चोट—जानलेवा साबित हुई। यह बताया गया है कि शुरू में मृतक की मेडिको-लीगल रिपोर्ट में शरीर पर चार चोटें पाई गई थीं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केवल एक चोट का ज़िक्र है। अर्ज़ी देने वाले व्यक्ति की कोई खास भूमिका नहीं बताई गई है। चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है और अर्ज़ी देने वाला व्यक्ति 28.3.2026 से जेल में बंद है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ता की दलीलों, अपराध की प्रकृति, सबूतों और आरोपी की भूमिका पर विचार करते हुए; साथ ही जेलों में भीड़ और ट्रायल कोर्ट में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए; और **कपिल वधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (2025 एससीसी ऑनलाईन एससी 3038)** मामले में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सुप्रीम कोर्ट के फैसले और माया तिवारी बनाम यूपी राज्य (2024 एससीसी ऑनलाईन एएलएल 6765) मामले में ज़मानत देने के संबंध में इस कोर्ट की दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए— और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना—मेरी राय है कि आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. इसलिए, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. ऊपर बताए गए अपराध में शामिल आवेदक - निक्कांत उर्फ निक्की - को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो ज़मानतदार पेश करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करे:-

(i) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को वे तथ्य बताने से रुके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, पूरी ईमानदारी से मुकदमे/जांच में सहयोग करेगा।

(iii) ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा भरे गए बॉन्ड की शर्तों के अनुसार पेश होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार माना जाएगा।

10. बॉन्ड स्वीकार करने से पहले, संबंधित कोर्ट को आवेदक और ज़मानत देने वालों की पहचान, स्टेटस और निवास के प्रमाण की पुष्टि करनी चाहिए। संबंधित कोर्ट को आवेदक और ज़मानत देने वालों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की भी पुष्टि करनी चाहिए।

11. इसके अलावा यह निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट, आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 'बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम' (बी.ओ.एम.एस.) के ज़रिए संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 में जमानत देने की नीति रणनीति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 31.01.2023 के आदेश, जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है, का पालन करते हुए, इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के ज़रिए 24 घंटे के भीतर ईमेल या ई-जेल पोर्टल से आवेदक को भेजे।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

5 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।